परवरिश योजना

1. उद्देश्य

अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दुसाध्य रोग से पीडित (एच0आई0वी0/एडस एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता-पिता के संतान के बेहतर पालन-पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

2. निधि का संवितरण

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में राशि का हस्तांतरण जी0एस0टी के माध्यम से किया जाता है।

3. देय राशि

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में 0-18 वर्ष के बच्चों हेतु 1000/- रूपया का हस्तांतरण जी0एस0टी के माध्यम से किया जाता है।

4. पात्रता

0-18 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ/बेसहारा/एच0आई0वी0(+) एड्स/ Visible Deformities Grade II से पीडित बच्चे अथवा इन रोगों से पीडित माता-पिता की संताने।

5. प्रक्रिया

परवरिश योजना के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय, ऑगनवाडी केन्द्रों में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार दे सकते है। ऑगनवाडी सेविका, 15 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर अपने मंतव्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को जमा कर देगे।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटी की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटको के संचालन के प्रगति की समीक्षा की जाती है। साथ ही वार्षिक कार्य योजना एवं मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समेकित एम0आई0एस0 पर मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुश्रवण की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।